रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 26, 1986/वैशाख 6, 1908
No. 155] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 26, 1986/VAISAKHA 6, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

विकास आयुक्त (ओषधि) का कार्यालय

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1986

आदेश

का. आ. 213 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, ओषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 3 के उपपैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व रसायन और उर्वरक मंत्रालय के आदेश सं.का.आ. 760 (अ), तारीख 10 सितम्बर, 1984,

को अधिक्रांत करते हुए, 733.00 रु. प्रति कि. ग्रा. को उस अधिकतम विक्रय मूल्य के रूप में नियत करती है, जिस पर स्वदेश में विनिर्मित क्लोरेफेनिकोल मोनो हिट परॉएल ग्लइकालेढ का विक्रय किया जाएगा।

[सं. 8 (10)/82-डी.-II]
डा. आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर,
संयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (ओषधि)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals & Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, the 26th April, 1986

ORDER

S.O. 213 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, and in supersession of the Order of the Government of India, in the erstwhile Ministry of Chemicals and Fertilizers, No. S.O. 760 (E), dated the 10th September, 1984, the Central Government thereby fixes Rs, 733.00 per Kg, as the maximum sale price at which Chloramphenicol Mono-Stearoylglyclate manufactured indigenously shall be sold.

[No. 8/10)/82-D-II]
Dr. R.V. Vaidyanatha Ayyar,
Joint Secy. & Development Commissioner
(Drugs)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986